उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश : जबलपुर
सूचना

क्रमांक B/797/लेखा जबलपुर, दिनांक 03 फरवरी, 2017

मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय के समस्त ऐसे अधिकारी एवं कर्मचारीगण जिनके द्वारा वित्त वर्ष 2016-2017 हेतु आयकर के संबंध में स्वघोषणा पत्र में अपनी बचत आदि की घोषणा करते हुए आयकर की गणना में उक्त राशियों पर आयकर छूट का लाभ लिया है, को सूचित किया जाता है कि वे दिनांक 15.02.2017 तक अनिवार्यतः उनके बचत के प्रमाणपत्र/जमा की रसीद आदि की प्रतिलिपि कार्यालय में सहा0वेतन देयक के पास जमा करावें। अन्यथा, प्रमाण के अभाव में उक्त बचत राशि को अमान्य किया जावेगा एवं नियमानुसार आयकर का कटौत्रा करते हुए माह फरवरी, 2017 का वेतन भुगतान किया जावेगा। आयकर की राशि माह फरवरी, 2017 के वेतन से अधिक होने पर कर्मचारी द्वारा ही आयकर की राशि को सीधे बैंक में जमा कर रसीद प्रस्तुत करने पर ही माह फरवरी, 2017 का वेतन भुगतान किया जावेगा।

घोषणापत्र के अनुसार छूट के प्रमाणपत्र नहीं पाये जाने पर नियमानुसार कार्यवाही की जायेगी।

3/2/2017
(व्ही.एन.एस. ठाकुर)
ओ0एस0डी0(लेखा)

पृष्ठांकन क्रमांक B/798 /लेखा जबलपुर, दिनांक 03 फरवरी, 2017

प्रतिलिपिः-

1. रजिस्ट्रार (प्रशासन/ न्यायिक-1 एवं 2/ डी0ई0/ व्ही0एल0/ इन्सपेक्शन एवं लिटिगेशन/ पी0पी0एस0/ ओ0एस0डी0 एक्जाम एवं लेब ज्यूडिशियरी/सचिव, हाईकोर्ट विधिक सेवा समीति) उच्च न्यायालय म0प्र0, जबलपुर।
2. संचालक, राज्य न्यायिक अकादमी, निवर्तमान मध्यप्रदेश राज्य प्रशासनिक अधिकरण भवन, जबलपुर।
3. विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी, निवर्तमान मध्यप्रदेश राज्य प्रशासनिक अधिकरण भवन, जबलपुर।
4. रजिस्ट्रार जनरल, के निजी सचिव, उच्च न्यायालय म0प्र0 जबलपुर।
5. प्रिंसिपल रजिस्ट्रार (न्यायिक)/प्रिंसिपल रजिस्ट्रार (इन्सपेक्शन एवं विजिलेंस)/ प्रिंसिपल रजिस्ट्रार (आई0एल0आर0 एवं एक्जाम)/प्रिंसिपल रजिस्ट्रार (एक्जाम एवं ट्रेनिंग), उच्च न्यायालय म0प्र0, जबलपुर।
6. डिप्टी रजिस्ट्रार ई/न्यायिक-1 एवं 2, उच्च न्यायालय म0प्र0, जबलपुर।
7. असिस्टेंट रजिस्ट्रार (लेखा), उच्च न्यायालय म0प्र0, जबलपुर।
8. समस्त अनुभाग अधिकारी/ इंचार्ज, उच्च न्यायालय म0प्र0, जबलपुर, की ओर इस निर्देश के साथ कि वे उक्त सूचना से अपने अधीनस्थ शासकीय सेवकों को तत्काल अवगत करावें।
9. प्रोटोकॉल अधिकारी, उच्च न्यायालय म0प्र0, जबलपुर, की ओर इस निर्देश के साथ कि वे उक्त सूचना से अपने अधीनस्थ चतुर्थ श्रेणी शासकीय सेवकों को तत्काल अवगत करावें।
10. प्रभारी, कम्पयूटर सर्वर रूम, की ओर उच्च न्यायालय की वेबसाइट पर अतिशीघ्र अपलोड करने हेतु।

(एस0के0 तिवारी) 3.2.17
अनुभाग अधिकारी